न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 49 / 2023

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण
मै. ध्रुवां इंजीनियर्स श्रीमती नैनी देवी के कायममुकामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक:– 27/11/23

–::आदेश::–

उपस्थिति:– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय दवे।
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी।

प्रार्थी द्वारा दो अलग अलग प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी एवं आदेश 47 नियम 1 सी पी सी के पेश किये गए। सर्वप्रथम आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेकर्ड दुरस्ती का जो प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय में पेश किया, उसे एकतरफा दिनांक 21.07.2023 को निर्णित किया, उस एकतरफा आदेश दिनांक 21.07.2023 को मंसुखी का प्रार्थना पत्र माननीय न्ययालय में पेश किया और उस प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं कर एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने श्रीमान् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर में प्रथम अपील पेश की और उस अपील न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय को सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के लिये रिक्वीजेशन का पत्र भी माननीय न्यायालय में प्राप्त हो चुका हैं और ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का मेरिट पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नही हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी को बगैर तामिल करवाये, एकतरफा निर्णय पारित करवाया गया हैं और इसलिये आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया और प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के प्रार्थना पत्र से पूर्व अपील निस्तारित हो जाती हैं तो आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र इनफ्रेक्चुअस हो जायेगा और आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के आवेदन पत्र पर सुनवाई होने के बाद भी अपील की सुनवाई हो सकती हैं और ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पर सुनवाई किया जाना आवश्यक हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे ही बहस की गई कि दिनांक 21.07.2023 के आदेश की अपील कर दी गई हैं और अपीलीय न्यायालय का रेकर्ड तलबी का पत्र भी प्राप्त हो चुका हैं इसलिये आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पर बहस सुनना न्यायोचित नही हैं। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि एकतरफा निर्णय को अपास्त करवाने के लिये विधि में चार उपचार उपलब्ध हैं (1) आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के तहत एकतरफा निर्णय को अपास्त करवा सकता हैं (2) एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

ादेश को अपास्त करवाने के लिये अपील दायर कर सकता हैं (3) पुनरावलोकन का आवेदन त्र पेश कर सकता हैं और (4) एकतरफा आदेश को मंसुखी के लिये वाद दायर कर सकता ै। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई कि एकतरफा आदेश के मंसुखी का प्रार्थना पत्र न्तर्गत आदेश 9 नियम 13, पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र एवं अपील तीनों ही प्रस्तुत करने ा उन्हे अधिकार है और अपील निर्णित होने तक एकतरफा मंसुखी का प्रार्थना पत्र निश्फल ो जाता हैं और ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम न्यायालय को एकतरफा आदेश/डिक्री मंसुखी के ार्थना पत्र पर सुनवाई करना आवश्यक हैं और इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता ने AIR 2005 upreme Court Page 626 Bhanu Kumar Jain VS Archana Kumar पर रिलाय किया और बताया के :–

"26. When an ex-parte decree is passed, the defendant (apart from filing a review etition and a suit for setting aside the ex-parte decree on the ground of fraud) has two clear ptions, one, to file an appeal and another to file an application for setting aside the order in terms of Order 9, Rule 13 of the Code. He can take recourse to both the proceedings imultaneously but in the event the appeal is dismissed as a result whereof the ex-parte decree assed by the Trial Court merges with the order passed by the appellate court, having regard to xplanation appended to Order 9, Rule 13 of the Code a petition under Order 9, Rule 13 would ot be maintainable. However, the Explanation I appended to said provision does not suggest that the converse is also true."

अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र खारिज भी किया जाता हैं तो भी अपील पर सुनवाई हो सकती हैं। चूंकि अपील न्यायालय द्वारा रेकर्ड तलब कर लिया गया हैं अतः ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया जाना आवश्यक है चूंकि अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया अतः गुणावगुणों पर सुनवाई की जावें और पुनः दोहराया कि आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर तुरन्त प्रभाव से सुनवाई कर निर्णित किया जावें और यदि आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो अपील इनफ्रेक्चुअस हो जायेगी। इसके विपरीत यदि अपील निर्णित हो जाती है तो जो एकतरफा आदेश 21.07. 2023 अपील में मर्ज हो जाने के कारण आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पर सुनवाई नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने AIR 2003 Bombay Page 52 Khurshed Banoo Murtaza Hasan, since VS Vasant Mallikarjun Manthalkar since पर रिलाय किया:–

"9. Adverting to the preliminary objection referred to at point No. 1 to my mind, the same is without any substance. The decision of this Court in the case of Kasuabai Keshav Dushinge (supra) is not an authority on the proposition that once the application for setting aside ex parte decree under Order 9, Rule 13 is rejected, as a necessary consequence thereof the remedy of appeal under section 96(2) of C.P.C. is barred. In that case, the Court was concerned with a converse situation where the appeal was disposed of and yet the remedy of application under Order 9, Rule 13 was being invoked. The Court observed that, having regard to the Explanation to Rule 13, such a remedy was clearly barred. The said observations made in that judgment are only in the context of the fact situation of that case and would not apply to

the present case. It is relevant to note that legislature has advisedly not made analogous provision as has been made in the form of explanation to Rule 13, so as to bar remedy of appeal if the application under Order 9, Rule 13 for setting aside the decree was to be rejected. It is well settled that defendants can take recourse to three different remedies, viz. (i) by way of application under Order 9, Rule 13 for setting aside the ex parte decree, (ii) by way of appeal against the ex parte decree under section 96(2) of Civil Procedure Code and (iii) also by way of review before the same Court against the ex parte decree. In any case, it is well settled that concurrent remedy in the form of application under Order 9, Rule 13 as well as appeal under section 96(2) of the Code against the ex parte decree is available to the defendant. However, the remedy under Order 9, Rule 13 is subject to the limitation that it cannot be perused once the appeal preferred by the defendant against the same decree is dismissed, except when it is withdrawn. But, no such limitation would apply to an appeal under section 96(2) of C.P.C. even if the application under Order 9, Rule 13 was rejected. In the latter case, the remedy is a substantive remedy provided against the ex parte decree under section 96(2) of C.P.C. which can be perused regardless of whether application for setting aside the ex parte decree under Order 9, Rule 13 is filed or for that matter rejected. However, it is only when the application under Order 9, Rule 13 is allowed that the appeal would become infructuous as the ex parte decree would be non est.

13. Having regard to the scheme of the provisions of the Code of Civil Procedure, I have no hesitation in taking the view that rejection of the application under Order 9, Rule 13 cannot bar the substantive remedy of appeal under section 96(2) of the Code."

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस की गई कि आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के आवेदन पत्र पर सुनवाई सर्वप्रथम करना न्यायोचित है और माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के फुल बेंच द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपील के निर्णय के चात् आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पोषणीय ही नहीं रहता है जबकि आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र निर्णित होने पर अपील पोषणीय रहती है। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपील न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही को स्थगित भी किया जा सकता है और उनके द्वारा अपील न्यायालय में स्थगन का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा हैं और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र शीघ्र निस्तारित किया जावें।

2000 0 AIR(MP) 279 ARCHANA KUMAR VS PURENDU PRAKASH MUKHERJEE में नीचे दर्ज विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं:—

(22) ACCORDINGLY, we hold that even after dismissal of the application under Order 9 Rule 13 of the Code a regular first appeal under Sec. 96 (2) of the Code is maintainable.

(23) HAVING held that a regular appeal under Sec. 96 (2) of the Code is maintainable against an ex parte decree, we further observe that a proceeding under Order 9 Rule 13 of the Code and a regular appeal can simultaneously be prosecuted. It would be open to the affected party to pray for stay of further proceedings in an appeal till the application under Order 9 Rule

3 of the Code is decided. It would be within the discretion of the appellate Court to pass ppropriate order in this regard.

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी बहस की गई कि मात्र अपील दायर करने के कारण ादेश 9 नियम 13 सी पी सी के आवेदन पत्र को निर्णित करने की अधिकारिता समाप्त नहीं ती है और आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र इन परिस्थितियों में सबसे पहले ना जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने 2002 0 AIR(SC) 2286 P. Kiran Kumar VS A. S. adar पर रिलाय किया और बताया कि:-

"12. Explanation was added to Order IX Rule 13 with effect from February 1, 1977 by the de of Civil Procedure (Amendment Act, 1976). Prior to its enactment a defendant burdened an ex parte decree could apply under Order IX Rule 13 for setting aside the ex parte decree. could also file an appeal under Section 96 against the ex parte decree. The mere fact of filing appeal did not take away the jurisdiction to entertain and dispose of an application for ting aside an ex parte decree. Only in the cases in which the trial Court decree merged with order of the appellant court by reversal, confirmation or varying it, the trial Court was cluded from setting aside the ex parte decree. Where the trial Court decree did not merge h the appellate Court order the trial Court was at liberty to proceed with the application for ting aside the ex-parte decree. Such instances arose when the appeal was dismissed in ault or where it was dismissed as having abated by reasons of omission by the appellant to lead the legal representatives of a deceased respondent or where it was dismissed as red by limitation. Explanation was added to discourage the two pronged attacks on the ree i.e by preferring an application to the trial Court under Order IX Rule 13 for setting aside decree and by filing an appeal to the superior court against it. The legislative attempt rporating the Explanation to Order IX Rule 13 is to confine the defendant, to either one of remedies made available to him and not both. Dismissal of the appeal on any ground, apart ı its withdrawal constituted a bar on the jurisdiction of the trial Court to set aside the ex- e decree. With the introduction of the explanation, no application to set aside the ex-parte ee would be maintainable where the defendant filed an appeal and the appeal was osed of on any ground, other than the ground that the appeal have been withdrawn by the llant."

इसके विपरीत अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायालय का ध्यान ालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 के उपखण्ड (ख) की ओर आकृष्ट करते हुए नीय न्यायालय से रिक्वीजीशन प्राप्त होने के बावजूद भी पत्रावली को रोकने का कोई कार नहीं होने का कथन किया और राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मेन्युअल की धारा 2 की ओर ालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विशेष विधि होने से अन्य 1 लागू नही होने का तर्क दिया और इसके समर्थन में नीचे दर्ज विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत

–

2012 (1) RRT 868 Tara & Ors. V. State of Rajasthan

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 82- Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 232- Reference Land of diety-No person can acquire any right by adverse possession-

Rajasthan Tenancy Act is a special law & its provision will prevail-Sec. 27 of Limitation Act have no applicability.

2. 2015 (2) RRT 1100

Jaipur Vikash Pradikaran V. Deendayal & Ors.

3. AIR 1967 Rajasthan 104

Surajmal Roopchand & Co V. State of Rajasthan and others

उभय पक्षकारान् के तर्कों पर मनन किया गया और पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का ोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा मौती चौक, खापटा, जोधपुर स्थित सम्पति ंक 24.03.2013 को श्रीमती विमला देवी को बेचान करने के सम्बन्ध में बेचान नामे की प्रार्थी के पासपोर्ट जिसमें प्रार्थी का पता ई–65, शास्त्री नगर, जोधपुर दर्ज है तथा उक्त के राशन कार्ड की प्रति पेश की, जिसका कोई खण्डन अप्रार्थी ने नहीं किया है। इसके ीत स्वयं अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व जो वाद पेश किया, उसमें प्रार्थी पता ई–65 शास्त्री नगर, जोधपुर दर्ज किया हैं और इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को धारा भू राजस्व अधिनियम के नोटिस मौती चौक, खापटा जोधपुर के पते पर भेजने एवं प्रार्थी नोटिस लेने से इन्कार करने की रिपोर्ट कतई उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से मानने योग्य नहीं ा है और उपरोक्त दस्तावेजों से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रार्थी के क्ता द्वारा सम्मन की तामिल हुए बगैर ही प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित हुआ ेना किसी संदेह के प्रमाणित है। यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों ार्थी ई–65, शास्त्री नगर जोधपुर के पते पर निवास कर रहा हैं और पूर्व में श्रीमती नैनी ने जो राजस्व वाद इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया, में वही पता दर्ज किया और उक्त पते म्मन की तामिल करवाई गई है। उसके पश्चात् मोती चौक का पता दर्ज कर मौजूदा ा पत्र जो प्रस्तुत किया गया है और उस पते पर प्रार्थी के विरूद्ध चस्पानगी की जो ाही की गई है वह जाहिर तौर पर प्रार्थी को सुनवाई से वंचित करने के लिये षडयन्त्र हत की गई प्रतीत होती है। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट प्रस्तुत मामले में कतई मानने नही है, न ही तामिल कुनिन्दा का कोई शपथ पत्र पेश किया गया है और न ही उसे में तलब करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जिस पर निवास ही नहीं करता है, उसका गलत पता दर्ज कर उस पर तामिल दर्शाकर ा मामले में जो एकतरफा आदेश हासिल किया गया है वह निश्चित रूप से अत्यन्त र मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Nisha Devi VS State of H. P. 2014 0 CW) 1611 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि

though it is, we may yet again reiterate that the principle of audi alteram partem admits of xception, and demands to be adhered to in all circumstances. In other words, before ng at any decision which has serious implications and consequences to any person, such n must be heard in his defence.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त से भी स्पष्ट है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर किये बगैर किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिये। प्रार्थी का कार्यवाही लत पता दर्ज कर उसके विरूद्ध गलत रिपोर्ट हासिल कर उसको सुनवाई से वंचित

ा गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार की कार्यवाही न केवल प्रार्थी के साथ तु न्यायालय के साथ भी धोखाधडी करना है। अतः जो एकतरफा आदेश पारित किया ा है वह क्षणमात्र के लिये भी कायम नहीं रखा जा सकता है और तुरन्त प्रभाव से अपास्त ये जाने योग्य होने से उक्त एकतरफा आदेश को अपास्त किया जाता है। और प्रार्थना पत्र : उसी नम्बर पर रेस्टोर किया जाता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का शपथ पर कोई जवाब पेश नहीं किया ा है और ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा सशपथ किये गये कथनों को कतई सशपथ खण्डन ं करने से भी प्रार्थी के कथनों को नहीं मानने का कोई औचित्य नहीं रहता हैं। जहां तक ार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा रेकर्ड तलब करने की रिक्वीजेशन आने के पश्चात् धारा म्याद अधिनियम एवं आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पर सुनवाई नहीं करने के जो तर्क दिये और इस सम्बन्ध में जो विधिक दृष्टान्त पेश किये हैं, उस सम्बन्ध में न्यायालय का यह मत कि यह मात्र प्रोसीजर की बात है और प्रार्थी द्वारा जो विधिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं, में जो विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उसके अनुसार प्रार्थी को एकतरफा आदेश विरूद्ध एकतरफा आदेश/डिक्री को निरस्त करने के लिये विधि के तहत जो प्रदत्त धिकार हैं, उनका उपयोग करते हुए वह रिव्यू का प्रार्थना पत्र, एकतरफा आदेश मंसुखी का र्थना पत्र, अपील व वाद दायर करने का अधिकार प्राप्त है और उन्ही अधिकारों का उपयोग ते हुए प्रार्थी ने न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सी पी सी एवं पुनरावलोकन के प्रार्थना पेश किये हैं और अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की है और ऐसी स्थिति में न्यायालय ा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के संबन्ध में जो न्यायिक दृष्टान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ये गये हैं वे मौजूदा मामले में पूर्णतया चस्पा होते हैं। इसके विपरीत अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा त्र अपीलीय न्यायालय द्वारा रेकर्ड मंगवाने की रिक्वीजीशन प्राप्त हो जाने के आधार ावली को रोकने का अधिकार नही होने व उक्त प्रार्थना पत्रों पर आदेश करने का अधिकार ी होने के कथन किये हैं। उक्त तर्क प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक नजीरों में प्रतिपादित द्धानतों को मद्देनजर रखते हुए कतई मानने योग्य नहीं ठहरते हैं। जहां तक विशेष विधि ने पर अन्य कानून लागू नहीं होने के सम्बन्ध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिये गये उक्त तर्क दीवानी प्रक्रिया संहिता जो कि राजस्व न्यायालयों पर भी लागू होती हैं, को खते हुए कतई मानने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में जो धिक दृष्टान्त पेश किये गये हैं, मौजूदा मामले में चस्पा नहीं होते हैं। प्रार्थी को विधि के हत जो उपचार उपलब्ध थे, वे उपचार प्रार्थी ने अपनाते हुए न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 ी पी सी एवं पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र पेश किया और अपीलीय न्यायालय में अपील पेश ी। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रार्थी ई–65, शास्त्री नगर, जोधपुर में रहवास रना साबित है और उसका कोई खण्डन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में ार्थी पर बगैर तामिल हुए उक्त आदेश एकतरफा पारित किया गया पत्रावली पर उपलब्ध ामग्री एवं रेकर्ड से साबित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी का आवेदन

र किया जाकर, राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 30 ए/2023 प्रार्थीनी श्रीमती नैनी नाम मै. ध्रुर्वा इंजीनियर्स में अप्रार्थी के विरूद्ध हुई एक पक्षीय कार्यवाही व दिनांक 21.07. को पारित आदेश को निरस्त किया जाकर, राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 30 23 को पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं और चूंकि धारा 136 का आदेश निरस्त देया गया है इसलिये राजस्व रेकर्ड की स्थिति पूर्व माफिक प्रार्थी दुरस्त करवाने के ारी हैं।

(पंकज कुमार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 27.12.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.12.23

(पंकज कुमार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर